**संख्या- 89/2018/1756/71-2-18-पी-10/2017**

**प्रेषक,**

**जयन्त नार्लिकर,**
**विशेष सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**सेन्टर आफ बायोमेडिकल रिसर्च,**
**लखनऊ ।**

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2** **लखनऊः दिनांक 23 मई, 2018**

**विषयः- सेन्टर के प्रशासनिक अधिकारी के पे-बैण्ड को उच्चीकृत किया जाना।**

---

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-सी0बी0एम0आर0/27/2015/6195, दिनांक 10-6-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सेन्टर के प्रशासनिक अधिकारी के वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) को एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारी के वेतन बैण्ड-3 (रू0 15600-39100) के समकक्ष किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- सी0बी0एम0आर0 लखनऊ हेतु आवश्यक पदों का सृजन शासनादेश संख्या-1980/71-2-11-पी-15/2007, दिनांक 02 जून 2011 द्वारा किया गया है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी का 01 पद, वेतनमान रू0 9300-34800, ग्रेड पे रू0 5400/- में सृजित है।

3- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सी0बी0एम0आर0 लखनऊ की समतुल्यता एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ से होने के दृष्टिगत सी0बी0एम0आर0 के प्रशासनिक अधिकारी के वेतन बैण्ड-2 (रू0 9300-34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- को एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के प्रशासनिक अधिकारी के वेतन बैण्ड-3 (रू0 15600-39100) एवं ग्रेड वेतन रू0 5400/- के समकक्ष किये जाने की एतदद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1345/दस-2018, दिनांक 16 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( जयन्त नार्लिकर )
विशेष सचिव।

संख्या- 89/2018/1756(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, सी0बी0एम0आर0, लखनऊ।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in